सहायक रोजगार अधिकारी (वीजी) के पद पर भर्ती पंजाब लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर की जाती है और सरकार सामान्य परिस्थितियों में सेवा नियमों में ढील देकर याचिकाकर्ता की सेवाओं को नियमित नहीं करती है। याचिकाकर्ता की सेवा को नियमित करने के लिए यदि राज्य सरकार द्वारा छूट देना आवश्यक पाया गया तो याचिकाकर्ता की सेवा समाप्त करने के बजाय छूट दी जानी चाहिए थी। ऐसे मामलों के लिए ही पंजाब रोजगार (श्रेणी I और II) सेवा नियम, 1963 में नियमों में छूट का प्रावधान किया गया था, जो पंजाब रोजगार विभाग के अधिकारियों की सेवा शर्तों को विनियमित करते हैं।

उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं-

(i) इस रिट याचिका की अनुमति दें;

(ii) 25 मार्च, 1986 (अनुलग्नक पी. 5) के आक्षेपित आदेश को रद्द करें जिसके द्वारा याचिकाकर्ता की सेवाएं 31 मार्च, 1986 (एएन) से समाप्त कर दी गई थीं;

(iii) उत्तरदाताओं को उनकी सेवाओं को नियमित करने का निर्देश दें
पंजाब रोजगार (श्रेणी I और II) सेवा नियम 1963 के प्रासंगिक प्रावधानों को शिथिल करके याचिकाकर्ता जिस पद पर पिछले 7 वर्षों से कार्यरत है और

(iv) याचिकाकर्ता को आज से एक महीने के भीतर वेतन और भत्तों के बकाया के साथ सभी परिणामी राहतें प्रदान करें, जिनकी वह हकदार होती यदि उसकी सेवाएं विवादित आदेश के अनुसरण में समाप्त नहीं की गई होतीं, उस पर 12 प्रतिशत ब्याज के साथ।

याचिकाकर्ता इस याचिका की लागत का भी हकदार होगा जो रुपये के रूप में निर्धारित है। 1000.

एससीके

पहले जेवी गुप्ता, जे.

बख्तावर सिंह और अन्य, - अपीलकर्ता।

बनाम

गुरबचन सिंह और अन्य, -प्रतिवादी।

*आदेश क्रमांक से प्रथम अपील*1983 का 487

9 दिसंबर 1987.

*मोटर वाहन अधिनियम (IV)*1939)—धारा 95—कार और बस के बीच दुर्घटना—कार के चालक को लापरवाही से दोषी ठहराया गया—केवल दावा करें

बख्तावर सिंह और अन्य बनाम गुरबचन सिंह और अन्य (जे.वी. गुप्ता. जे.)

बस चालक की लापरवाही का कारण - कार चालक के खिलाफ विकल्प में कोई दावा नहीं - कार की बीमा कंपनी - ऐसी बीमा कंपनी का दायित्व।

*आयोजित,*दावा याचिका में दावेदारों ने कभी भी इस विकल्प का अनुरोध नहीं किया कि यदि बस चालक को लापरवाही करते हुए पाया गया, तो वे कार के बीमाकर्ता से मुआवजे का दावा करने के हकदार थे। मृत ड्राइवर का कानूनी प्रतिनिधि, जो कार का मालिक भी है) को दावा याचिका में 2 पक्षकार नहीं बनाया गया था। बीमा कंपनी को तब तक उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि बीमा की पॉलिसी लेने वाले बीमित व्यक्ति के खिलाफ निर्णय प्राप्त नहीं हो जाता। (पैरा 8)

*श्री वीएम जैन, दुर्घटना न्यायाधिकरण, कुरूक्षेत्र के न्यायालय दिनांक 7 फरवरी के आदेश से प्रथम अपील,*1983 दावा याचिका खारिज।

अपीलकर्ताओं के लिए वकील आरपी बाली।

प्रतिवादी संख्या 3 के लिए एलएम सूरी, वकील और रविंदर अरोड़ा, वकील।

प्रतिवादी संख्या 2 के लिए केपी भंडारी, एजी (पीबी.) केबी भंडारी, वकील के साथ।

प्रलय

जेवी गुप्ता, जे.-

यह निर्णय एफएओ का भी निपटारा कर देगा। 1983 की संख्या 487, 488, 489 और 491, क्योंकि ये सभी अपीलें मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, कुरूक्षेत्र (इसके बाद इसे न्यायाधिकरण कहा जाएगा) के एक फैसले और एक दुर्घटना से उत्पन्न हुई हैं।

(2) मृतक जामजरनैल सिंह कार संख्या एमटीवाई8 8268 को चलाकर बंबई से अपने पैतृक गांव जा रहे थे, तभी दोपहर करीब तीन बजे जीटी रोड पर दंतौरी गांव के पास प्रतिवादी संख्या द्वारा चलायी जा रही बस संख्या पीबीजे-4413 से दुर्घटना हो गयी। 1 गुरबचन सिंह। उक्त दुर्घटना में, उक्त जरनैल सिंह, उनके बेटे अमरजीत सिंह और दो अन्य व्यक्ति, अमरीक सिंह और गुरदीप सिंह, जो कार में यात्रा कर रहे थे, की जान चली गई। पांच दावा याचिकाएं दायर की गईं। दावा याचिका, दे रही है 1983 के एफएओ संख्या 487 को जन्म देने वाली दावा याचिका, अमरीक सिंह के माता-पिता की ओर से दायर की गई थी, जबकि 1983 की एफएओ संख्या 488 को जन्म देने वाली दावा याचिका, गुरदीप सिंह के माता-पिता की ओर से दायर की गई थी। एफजेएलओ को जन्म देने वाली दावा याचिका। 1983 का क्रमांक 489 विधवा एवं बच्चों द्वारा भरा गया था

मृतक जरनैल सिंह का, जबकि दावा, एफएओ नंबर 491/1983 को जन्म देने वाली याचिका, जरनैल सिंह के बेटे अमरजीत सिंह की मौत के कारण उनकी मां और भाई की ओर से दायर की गई थी। पांचवीं दावा याचिका जरनैल सिंह की विधवा और बच्चों द्वारा दायर की गई थी, जिसमें कार को हुए नुकसान के मुआवजे का दावा किया गया था। जहां तक पांचवें दावे की याचिका का सवाल है, उससे उत्पन्न एफएओ पहले ही खारिज कर दिया गया है क्योंकि अपील की लंबित अवधि के दौरान, कार के बीमाकर्ताओं ने दावे को संतुष्ट कर दिया है। विद्वान न्यायाधिकरण ने इन चार दावा याचिकाओं को इस आधार पर खारिज कर दिया कि दुर्घटना कार के चालक तमाई 1 सिंह की लापरवाही के कारण हुई थी।

(3) दावेदारों के अनुसार, जरनैल सिंह द्वारा चलाई जा रही कार जीटी रोड पर सामान्य गति से जा रही थी और गांव दंतौरी से कुछ दूर थी, तभी एक भैंस अप्रत्याशित रूप से सड़क पर आ गई और टक्कर से बचने के लिए जरनैल सिंह, मृतक , ने अपनी कार को दाहिनी ओर मोड़ दिया, जब प्रतिवादी नंबर 1 गुरबचन सिंफ द्वारा संचालित बस संख्या पीबीजे-4413 विपरीत दिशा से तेज गति और लापरवाही से आई और कार के बाईं ओर से टकरा गई। चूँकि बस का ड्राइवर बस को दाहिनी ओर रखने के बजाय, उसे कार के बाईं ओर ले आया था और चूँकि वह बस को नियंत्रित नहीं कर सका, इसलिए उसने कार के बाईं ओर टक्कर मार दी, जिससे कार आगे की ओर धकेल दी गई यह दाहिनी ओर है. आगे यह भी आरोप लगाया गया कि दुर्घटना के बाद बस गलत साइड पर सड़क के कच्चे हिस्से पर रुक गई। बस के ड्राइवर की ओर से दर्ज कराए गए लिखित बयान में इस बात से इनकार किया गया कि बस तेजी और लापरवाही से चलाई जा रही थी. यह दलील दी गई थी कि वास्तव में, कार को लापरवाही और लापरवाही से बहुत तेज गति से चलाया जा रहा था और कार को दाईं ओर मोड़ने के बाद उसे नियंत्रित नहीं किया जा सका जब उक्त कार के सामने एक भैंस आ गई और जैसे ही ऐसे में कार बिल्कुल दाहिनी ओर चली गई और विपरीत दिशा से आ रही बस के सामने आ गई। आरोप था कि हादसा पूरी तरह कार चालक की गलती से हुआ है। दावा याचिकाओं में कार के बीमाकर्ताओं को भी एक पक्ष के रूप में शामिल किया गया था। उनके द्वारा दायर लिखित बयान में, यह आरोप लगाया गया था कि दावा याचिकाओं में लगाए गए आरोपों के अनुसार, दुर्घटना, कार चालक की लापरवाही के कारण नहीं हुई थी और ऐसा होने पर, बीमा कंपनी उत्तरदायी नहीं थी किसी भी मुआवजे का भुगतान करने के लिए. इस प्रकार, सभी दावा याचिकाओं में मुख्य मुद्दा यह था कि क्या प्रतिवादी गुरबचन सिंह द्वारा बस संख्या पीबीजे-4413 की तेज और लापरवाही से ड्राइविंग के कारण दुर्घटना हुई थी। विद्वान न्यायाधिकरण संपूर्ण साक्ष्यों पर चर्चा करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि

बख्तावर सिंह और दूसरा डब्लू. गुरबचन सिंह और अन्य
(जे.वी. गुप्ता. जे.)

विचाराधीन दुर्घटना, बस के चालक गुरबचन सिंह द्वारा बस संख्या पीबीजे-4413 को तेजी से और लापरवाही से चलाने के कारण नहीं हुई। आगे यह पाया गया कि पीडब्ल्यू 1 बख्शीश सिंह और आरडब्ल्यू-1 गुरबचन सिंह द्वारा दी गई मौखिक गवाही से, यह नहीं माना जा सकता है कि दुर्घटना, बस की तेज और लापरवाही से ड्राइविंग के कारण हुई थी। विद्वान न्यायाधिकरण के अनुसार साक्ष्यों से यह साबित हुआ कि दुर्घटना पिपली से अंबाला की ओर जाते समय दाहिनी ओर पक्की सड़क के अंतिम छोर और सड़क के कच्चे हिस्से पर हुई थी। जिस कार की बात की जा रही है वह जा रही थी। इस सब से अंततः यह निष्कर्ष निकला कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, यह नहीं माना जा सकता कि बस का चालक किसी भी तरह से लापरवाही और लापरवाही से बस चला रहा था; बल्कि हादसा तब हुआ था जब कार चला रहे जरनैल सिंह ने उसे गलत साइड पर ला दिया था. उस निष्कर्ष के मद्देनजर, विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा अन्य मुद्दों पर कोई विशेष निष्कर्ष नहीं दिया गया और अंततः, दावा याचिकाएं खारिज कर दी गईं-

(4) दावेदारों के विद्वान वकील ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि सबूतों से यह साबित होता है कि दुर्घटना बस की तेज गति और लापरवाही से ड्राइविंग के कारण हुई थी। उन्होंने विशेष रूप से इस संबंध में बस के चालक गुरचरण सिंह, आरडब्ल्यू 1 और बख्शीश सिंह, पीडब्लू 1 के बयानों का उल्लेख किया। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि किसी भी मामले में, यह अंशदायी लापरवाही का मामला था और इसलिए, दावेदार पंजाब राज्य से मुआवजे के हकदार थे, क्योंकि यह अपमानजनक था। हालाँकि, विकल्प में, यह भी तर्क दिया गया कि कार के बीमाकर्ता मृत्यु के कारण दावेदारों को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी थे? अमरीक सिंह, गुरदीप सिंह और अमरजीत सिंह जो कार में यात्रा कर रहे थे और दुर्घटना के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी।

(5) मैंने पक्षों के विस्तृत वकील को सुना है और रिकॉर्ड पर मौजूद प्रासंगिक साक्ष्यों का भी अध्ययन किया है।

(6) बस चालक, गुरबचन सिंह के बयान और बख्शीश सिंह की गवाही से, यह सफलतापूर्वक तर्क नहीं दिया जा सका कि दुर्घटना बस की तेज और लापरवाही से ड्राइविंग के कारण हुई थी। विद्वान न्यायाधिकरण ने पूरे साक्ष्य पर विस्तार से चर्चा की है, पीडब्लू-1, बख्शीश सिंह ने कहा है कि वह कार नंबर एमटीवाई-8268 में जरनैल सिंह आदि के साथ थे और जब वे अंबाला की ओर पिपली से सात या आठ किलोमीटर आगे पहुंचे, तो सभी अचानक सड़क पर एक भैंस आ गई और देखते ही देखते...

उनके भाई जरनैल सिंह, मृतक, जो उस समय कार चला रहे थे, ने ब्रेक लगाए और कार को दाईं ओर मोड़ दिया। इसी बीच एक बस बहुत तेज गति से आई और उक्त कार से टकरा गई, जिसके परिणामस्वरूप यह दुर्घटना घटी। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस करीब 30 मिनट बाद मौके पर पहुंची जब उनका बयान दर्ज किया गया। अपनी जिरह में उन्होंने कहा कि जिस समय भैंस को कार से पांच या छह गज की दूरी पर देखा गया, उस समय कार की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा थी। उन्होंने आगे कहा कि उक्त भैंस उनके बायीं ओर से सड़क के मध्य भाग में घुस गयी थी। उन्होंने यह भी कहा कि ब्रेक लगाने के बाद भी कार नहीं रुकी और वास्तव में, जरनैल सिंह ने उक्त भैंस से टक्कर बचाने के लिए कार को दाहिनी ओर मोड़ लिया। उन्होंने यह भी कहा कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही कार ब्रेक लगाने पर करीब दो फीट की दूरी पर रुकेगी. कार दाहिनी ओर मुड़ गई थी और सड़क के मध्य भाग पर आ गई थी और कार के सड़क के मध्य में पहुंचने के आधे मिनट से भी कम समय के भीतर बस घटनास्थल पर पहुंच गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि जब बस कार के पास पहुंची, तो बस पक्की सड़क के बिल्कुल दाहिनी ओर गलत दिशा में चल रही थी। बस का ड्राइवर गुरबचन सिंह, आरडब्ल्यू 1 के रूप में सामने आया और उसने कहा कि वह बस को दाहिनी ओर चला रहा था और इसे 45 या 46 किलोमीटर प्रति घंटे की सामान्य गति से चलाया जा रहा था। हिटन के अनुसार, एक कार विपरीत दिशा से आई और एक भैंस निकलकर कान के सामने आ गई और उक्त भैंस को बचाने के लिए, कार के चालक ने कार को दाईं ओर की तरफ ले आया, जहां से बस आ रही थी. उनके अनुसार, घटना के लगभग 20 या 25 मिनट बाद बख्शीश सिंह, पीडब्लू 1 तीन या चार महिलाओं के साथ दूसरी कार में वहां पहुंचे। जैसा कि उसने बताया था, वह कार में यात्रा नहीं कर रहा था। अपनी जिरह में इस गवाह ने कहा कि उसने भैंस को 50 से 60 गज की दूरी से कार के सामने देखा था। जब उन्होंने दोनों को पहली बार देखा तो कार और भैंस के बीच की दूरी दस फीट थी। उनके मुताबिक, 40/45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही बस पर अगर ब्रेक लगाया जाए तो वह 6 से 10 गज की दूरी पर ही रुक जाएगी। इस प्रकार, उक्त गवाही और रिकॉर्ड पर अन्य सबूतों से, यह बिल्कुल स्पष्ट था कि दुर्घटना, गुरबचन सिंह, पीडब्लू, एसआई कृष्ण लाई द्वारा बस की तेज और लापरवाही से ड्राइविंग के कारण नहीं हुई थी। गवाह बॉक्स में पीडब्लू 6 के रूप में उपस्थित हुए। अपनी जिरह में, उन्होंने कहा कि जब उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया, तो उन्होंने बस और कार को 'सड़क के दाईं ओर' खड़ा पाया, अगर कोई पिपली की ओर से आता है

अंबाला। उन्होंने यह भी कहा कि उक्त दोनों वाहनों का बड़ा हिस्सा कच्चे हिस्से पर था जबकि उक्त वाहनों का कुछ हिस्सा पक्की सड़क पर था। इस प्रकार, इस गवाह की गवाही से भी, यह रिकॉर्ड पर साबित होता है कि दुर्घटना पिपली से अंबाला की ओर जाते समय दाहिनी ओर पक्की सड़क के अंतिम छोर और सड़क के कच्चे हिस्से पर हुई थी। कार अंदर सवाल जा रहा था. यह पीडब्लू 1 बख्शीश सिंह की गवाही को झुठलाएगा कि जिस बस की बात हो रही है, वह गलत दिशा में आई थी, यानी, सड़क के पक्के हिस्से के एकदम दाहिनी ओर। पीडब्लू 1, बख्शीश सिंह की बात को भी गलत ठहराया गया है जब उन्होंने कहा था कि कार को सड़क के लगभग मध्य तक दाहिनी ओर मोड़ दिया गया था। उपरोक्त साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, विद्वान न्यायाधिकरण सही निष्कर्ष पर पहुंचा कि दुर्घटना बस की तेज गति और लापरवाही से ड्राइविंग के कारण नहीं हुई; बल्कि यह तब हुआ था जब कार चला रहे जरनैल सिंह ने उसे गलत साइड पर ला दिया था। इस प्रकार, मुझे उक्त निष्कर्षों में ऐसी कोई दुर्बलता या अवैधता नहीं दिखती जिससे इस अपील में हस्तक्षेप किया जा सके।

7. इस स्थिति का सामना करते हुए, दावेदारों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि किसी भी मामले में, जो व्यक्ति कार में यात्रा कर रहे थे और दुर्घटना के कारण मर गए थे, उनके कानूनी प्रतिनिधि कार के बीमाकर्ताओं से मुआवजे के हकदार थे। विद्वान वकील ने बताया कि कार का व्यापक बीमा किया गया था, जैसा कि रिकॉर्ड पर प्रस्तुत प्रमाण पत्र, एक्ज़िबिट पीडब्लू 5/के से स्पष्ट था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि बीमा कंपनी इस न्यायालय के आदेशों के बावजूद मूल पॉलिसी पेश करने में विफल रही और इसलिए, उसके खिलाफ हर अनुमान लगाया जाएगा। इस प्रकार, विद्वान वकील ने तर्क दिया, यह माना जाएगा कि कार में सवार यात्रियों का भी बीमा किया गया था।

8. इस संबंध में पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, मैंने पाया कि इस विवाद में कोई योग्यता नहीं है। माना जाता है कि दावेदारों ने दावा याचिकाओं में कभी भी इस विकल्प की वकालत नहीं की कि यदि बस चालक को लापरवाही नहीं पाई गई, तो वे कार के बीमाकर्ताओं से मुआवजे का दावा करने के हकदार थे। इसके अलावा, दावेदारों ने कम से कम दो दावा याचिकाओं में, जहां कोई कठिनाई नहीं थी, कार के मृत चालक (जो मालिक भी है) के कानूनी प्रतिनिधियों को अपनी दावा याचिकाओं में पक्ष नहीं बनाया है। ऐसा होने पर, द ओरिबियल फ़िफ़ एंड जनरल में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले को ध्यान में रखते हुए

*इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बॉम्बे*बचन सिंह (1), बीमा कंपनी को तब तक उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि बीमा की पॉलिसी लेने वाले बीमित व्यक्ति के खिलाफ निर्णय प्राप्त नहीं हो जाता। इसके अलावा, दावेदारों द्वारा दावा किया गया कि विकल्प में कोई मुद्दा नहीं था, कि दुर्घटना जरनैल सिंह द्वारा लापरवाही से कार चलाने के कारण हुई थी। इस संबंध में ऐसी किसी याचिका और मुद्दे के अभाव में, दावेदारों की ओर से यह सफलतापूर्वक तर्क नहीं दिया जा सका कि वे बीमा कंपनी से किसी भी मुआवजे के हकदार थे। यह सच है कि हर अनुमान बीमा कंपनी के खिलाफ उठाया जाएगा क्योंकि वह अवसर दिए जाने के बावजूद, इस न्यायालय में पॉलिसी की एक प्रति पेश करने में विफल रही, लेकिन उक्त अनुमान बीमा कंपनी की दलीलों के अभाव में उपलब्ध नहीं है। दावेदारों ने अपनी दावा याचिकाओं में कहा कि कार का चालक जरनैल सिंह तेजी से और लापरवाही से गाड़ी चला रहा था और यह दुर्घटना कार चालक द्वारा तेजी से और लापरवाही से कार चलाने के कारण हुई थी।

9. इन परिस्थितियों में, लम्बे कप्पल विफल हो जाते हैं और लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं रखते हैं।

एससीके

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

जितेश कुमार शर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

झज्जर, हरियाणा